न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:—29/18 दायर दिनांक:—01.06.2018

जीसीएमएस नं. 2018/00088

1. मौजीलाल उम्र 50 साल
2. विजयसिंह उम्र 48 साल
3. पवन कुमार उम्र 46 साल
4. राज कुमार उम्र 44 साल

पिसरान मनोहरी

5. मनोहरी उम्र 95 साल पुत्र सोन्या
6. मु0 रमेशी पुत्री मनोहरी उम्र 40 साल

जाति मीना निवासी सिकरोदा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

——————सायलान—06

बनाम

हरगोविन्द पुत्र उदयराज उम्र 48 साल, जाति मीना निवासी सिकरोदा मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

————गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित—1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायलान

2.श्री पी एल गोयल अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक:— 19-11-24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि खसरा न0 1041 रकबा 2 ऐयर, 1042 रकबा 1 ऐयर गैरमुमकिन चाह व 1043 रकबा 15 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 18 ऐयर ग्राम सिकरौदा तहसील हिण्डौन में सायलान स0 5 बहिस्सा 1/2, गैरसयाल बहिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:41 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात मद न0 2 प्रार्थना पत्र सेदिलमें विभाग द्वारा साबिक खसरा न0 340 रकबा 13 बिस्वा से तरमीम कर कायम किया जाकर मिलान ... व टाश रजिस्टर में दर्ज किया है। जो सही नहीं है, क्योंकि 20 बिस्वा का 1 बीघा यानि 25 ऐयर 13 बिस्वा ... 6 ऐयर रकबा होना चाहिए 2 ऐयर रकबा साबिक के मुताबिक मौजुदा रिकॉर्ड में बढावा जाना संभव नहीं है। इसलिये इन खसरा न0 में 2 ऐयर जमीन सायलान के साबिक खसरा न0 341 रकबा 19 बिस्वा की जोडकर 2 ऐयर का नया खसरा न0 1041 रकबा 2 ऐयर तरमीम कर शामिल खातेदारी में दर्ज कर दिया है। साबिक व मौजूदा सीट मिलान करने पर यह तथ्य भली प्रकार

साबित है, और साबिक ख0न0 341 का मौजूदा खसरा न0 1040 रकबा 28 ऐयर कायम किया है, जिसे साबिक खसरा न0 341 व 359 मिन से बनना दर्ज किया है। खसरा न0 359 महज 3 बिस्वा का था। जिससे खसरा न0 1044 बनाया गया है खसरा न0 360 से खसरा न0 1044 बन नहीं सकता, क्योंकि स्थान परिवर्तन को गया है। इसलिये सेटिलमेंट द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड मौके के विपरीत है, और सेटिलमेंट विभाग को गलत रिकॉर्ड तरमीम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

सायलान खसरा न0 1040 का रकबा भी 28 ऐयर गलत बनाया है, क्योंकि मौके पर 28 ऐयर नहीं है यानि रकबा बढा दिया है। जिसे दुरुस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

मौके पर खसरा न0 1041 रकबा 2 ऐयर साबिक खसरा न0 341 का भाग है। इसलिये मौजूदा खसरा न0 1040 रकबा 24 ऐयर तरमीम किया जाना तथा खसरा न0 1041 से गैरसायल हरगोविन्द का नाम हजफ किया जाना तथा उक्त खसरा न0 की खातेदारी सायलान दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज फरमाया जाना आवश्यक है तथा खसरा न0 1042 रकबा 1 ऐयर खसरा न0 1043 रकबा 15 ऐयर कुल किता 2 रकबा 16 ऐयर की खातेदारी मनोहरी बहिस्सा 1/2 तथा गैरसायल बहिस्सा 1/2 दर्ज फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

मौके पर खसरा न0 1042 का चाह का वजूद नहीं रहा है। व खण्डर था जो जमीनों में होकर नष्ट हो गया है। इसलिये किस्म गैरमुमकिन चाह समाप्त फरमाईजाकर मनोहरी बहिस्सा 1/2 तरफ पूर्व सायलान की आबादी की तरफ तथा गैरसायल बहिस्सा 1/2 पश्चिम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार मीटस एण्ड बाउण्डस तकास्मा फरमाया जाकर खातेदारी कायम किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

बाका दिनांक 28.05.2018 को सुबह करीब 9 बजे का है, कि गैरसायल द्वारा करीब 6–7 मजदूर बुलवाकर खसरा न0 1041 में नींव खुदवाना प्रारम्भ कर दिया। सायलान द्वारा मना किया, तो गैरसायल द्वारा स्पष्ट रूप से धमकी दी है कि इस 2 ऐयर में मेरा आधी हिस्सा है। तथा कुआ वाले दोनो खेतों में मेरा आधी हिस्सा है, में इनमें पुख्ता मकान तेरी आबादी के सामने बरावर तेरी रिहायशी माका बिल रिहायश करके रहुंगा। इस पर सायलान व गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने गैरसायल व उसके [illegible] मुश्किल से समझा कर उस समय तो नींव खोदना बंद करवा [illegible] आम धमकी दी है कि तीना खेतों में आधी आधी जमीन लेकर तेरे रास्ते [illegible] काबिल रिहायश बनाकर रहूंगा। इस प्रकार नकले आदि लेने पर सेटिलमेंट द्वारा बनाये गये गलत रिकॉर्ड का हल्का पटवारी से पता चला, जिसका गैरसायल बेजा लाभ उठाकर सायलान को हैरान व परेशान करने पर आमदा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा न0 1041 रकबा 2 ऐयर, 1042 रकबा 1 ऐयर, 1043 रकबा 15 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 18 ऐयर ग्राम सिकरौदा मीना के कब्जे काश्त सायलान में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायलान को बेदखल नहीं करे। उक्त खसरा नम्बरान में कोई निर्माण नहीं करे। सायलान की रिहायश को नाकाबिल रिहायश नहीं बनाये। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से को श्री पी एल गोयल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं 19.12.2019 को जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है:--

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 01 में सायलान द्वारा बिल्कुल गलत व झूठा दावा गैरसायलान के विरूद्ध पेश करना अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र हाजा में सायलान ने किरोडी के वारिसों का पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिये प्रार्थना पत्र हाजा में नोन जोइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज का नुस्ख होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 02 जिस प्रकार तहरीर किया गया स्वीकार नहीं है। उक्त मद में दर्ज खसरा न0 1041, 1042 व 1043 कुल किता 3 कुल रकबा 18 ऐयर स्थित ग्राम सिकरौदा मीना में सायलान संख्या 1 ता 4 व 6 के मृतक पिता किरोडी व हिस्सा 1/4 मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, क्योंकि प्रार्थना पत्र के उनवान में सायलान न0 1 ता 4 को मनोहरी का पुत्र होना बताया है तथा सायल संख्या 6 को गलत रूप से किरोडी की लडकी बताया है, जबकि सायल संख्या 6 रमेशी किरोडी को लडकी ना होकर मनहोरी की लडकी है। इस प्रकार किरोडी की लडकी ना होकर मनोहरी की लडकी है। इस प्रकार किरोडी के वारिसों को प्रकरण में कोई पक्षकार नहीं बनाया है। और ना हि प्रार्थना पत्र/दावा हाजा में मुताबिक अभिवचन सायलान न0 1 ता 4 का किरोडी के वारिस/वल्दियत होने का कोई दस्तावेज पेश ही किया है और इस संबंध में संबंधित क्लर्क द्वारा भी बिल्कुल गलत रिपोर्ट दी गई है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। उक्त खसरा न0 340 रकबा 13 बिस्वा मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी मुताबिक रिकॉर्ड तैयार किया [illegible] मुताबिक संपूर्ण रिकॉर्ड सही है। उक्त खसरा नम्बरान में 2 ऐयर जमीन सा[illegible]न [illegible] कोई साबिक खसरा न0 341 रकबा 19 बिस्वा को जोडकर 2 [illegible] न0 1040 [illegible]म कर शामिल खातेदारी दर्ज नहीं किया है, बल्कि मुताबिक रिकॉर्ड सायल के पास उसकी साबिक के अनुसार संपूर्ण भूमि है। साबिक खसरा न0 341 का मौजूदा खसरा न0 1040 रकबा 28 ऐयर कायम करना मुताबिक रिकॉर्ड है व उक्त खसरा न0 साबिक खसरा न0 341 व 359 से मिलकर बना है व खसरा न0 359 रकबा 3 बिस्वा है। खसरा न0 1044 केवल 359 से मिलकर नहीं बना है, बल्कि खसरा न0 359 व 360 मिन से बना है, कोई स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:41 IST
Reason: SelfAttested

परिवर्तन नहीं हुआ है। मुताबिक रिकॉर्ड गिलान क्षेत्रफल सही है, सैटिलमेंट विभाग ने कोई गलत रिकॉर्ड साबिक से गिलान कर नहीं बनाया है। और नाही कोई गलत तरमीम की है। इसलिये उसे दुरूस्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, दावा एवं प्रार्थना पत्र गलत दायर किया है, जो खारिज होने योग्य है।

4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 गलत है व अस्वीकार है। खसरा न0 1040 मौके पर पूरी 28 ऐयर भूमि है, इसलिये किसी दुरूस्ती का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 गलत है और अस्वीकार है। मौजूदा कोई खसरा न0 1041 रकबा 2 ऐयर साबिक खसरा न0 341 का भाग नहीं है, इसलिये खसरा न0 1040 रकबा 24 ऐयर तरमीम किये जाने प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वकील सायल न0 1040 साबिक खसरा न0 341 रकबा 19 बिस्वा से बनना बताया है और 19 बिस्वा के 24 ऐयर होते है, ऐसी सुरत में सायल का यह कथन कि खसरा न0 1041 रकबा 2 ऐयर साबिक खसरा न0 341 का भाग है संभव नहीं है तथा खसरा न0 1041 से गैरसायल हर गोविन्द का नाम हजफ किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही उसकी खातेदारी सायलान के नाम किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है, शेष तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है।

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 गलत है और अस्वीकार है। सायलान का उक्त मद में यह कथन कि खसरा न0 1042 में मौके पर चाह का वजूद नहीं है, बिल्कुल गलत है, बल्कि मौके पर चाह मौजूद है। नाही वह खंडर था, बल्कि उसका नहीं है, भूमि लेविल है, जिसमें पानी कम मात्रा में मौजूद है। कुंआ जमीनों में होकर कोई नष्ट नहीं हुआ है। इसलिये किस्म गैरमुमकिन कुआ समाप्त करने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता और ना ही मनोहरी का कोई 1/2 हिस्सा उक्त भूमि में है, इसलिये तरफ पूर्व उसका 1/2 हिस्सा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायलान ने उक्त खसरा न0 में 1/4 हिस्से के खातेदार, किरोडी के संबंध में बराये बदयांति कोई तथ्य दर्ज नहीं किये और नाही किरोडी या उसके वारिस धनवंती को पक्षकार बनाया है। सायलान के प्रकरण में नोनजोइंडर ऑफ नेसेसिटी पार्टी का नुक्स आरिज है तथा सायालन क्लीन हैण्डस से न्यायालय के समक्ष नहीं आये है, इसलिये वह कोई इक्युटेबिल रिलीफ प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी नहीं है तथा उक्त खसरा न0 कुल किता 3 कुल रकबा 18 ऐयर ग्राम सिकरोदा मीना कानूनन 1/4 हिस्से के खातेदार किरोडी व उसकी वारिस धनवंती के विना तकास्मा संभव नहीं है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 अस्वीकार है। उक्त खसरा न0 1040 मौके पर मुताबिक सायलान की साबिक खातेदारी संपूर्ण के अनुसार बनाया गया है, जो कुल रकबा के अनुसार है।

8. प्रार्थना पत्र का मद न0 8 गलत है व अस्वीकार है। दिनांक 28.05.2018 को सुवह करीब 9 बजे गैरसायल द्वारा कोई 6–7 मजदूर बुलाकर खसरा न0 1041 में नींव

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:41 IST
Reason: SelfAttested

खुदवाना प्रारम्भ नहीं किया तो सायलान द्वारा मना करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और नाही गैरसायल द्वारा कोई धमकी ही दी और ना सायल की किसी तथाकथित रिहायश को नाकाबिल काश्त बनाने की धमकी दी और ना सायलान ने व तथाकथित गणमान्य गांव के व्यक्तियों ने समझा बुझाकर नींव खोदना बंद कराया।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2071—74 खाता संख्या 264, जमाबंदी संवत 2071—74 खाता संख्या 479 वाके ग्राम सिकरोदा मीना तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति नक्शा ट्रैस, मिलान क्षेत्रफल, पी 35 ,फोटोप्रति खसरा गिरदावरी वाके ग्राम सिकरोदा मीना पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2071—74 खाता संख्या 264, जमाबंदी संवत 2071—74 खाता संख्या 479 वाके ग्राम सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति नक्शा ट्रैस, मिलान क्षेत्रफल, पी 35 ,फोटोप्रति खसरा गिरदावरी वाके ग्राम सिकरोदा मीना खातेदारी सायलान व गैरसायल के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रकरण में गैरसायल अपनी मौखिक बहस व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद में अपना पक्ष बखुबी साबित नहीं कर पाया है। जिससे प्रकरण सायलान के पक्ष में साबित होता है। अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान को दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान बावत अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 01.06.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार [illegible] कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 1041, 1042, 104[illegible] तहसील हिण्डौन की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 19-11-24 को खुले [illegible]यालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:41 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर) 19/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन